138

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 4251–एक/2016 – विरूद्ध आदेश दिनांक 7–12–2016 – पारित द्वारा – अपर कलेक्टर जिला भिण्ड – प्रकरण क्रमांक 209/15–16 निगरानी

रामगोपाल शर्मा पुत्र स्व.सहावदत्त शर्मा
ग्राम गढ़ा तहसील अटेर जिला भिण्ड ---आवेदक

विरूद्ध

1– शैलेन्द्रकुमार पुत्र रामलखन
ग्राम बहादुरपुर जिला इटावा,उ0प्र0 --असल अनावेदक

2– किशन विहारी 3– सुशील शर्मा
पुत्रगण सहावदत्त शर्मा

4– किशोरी देवी पत्नि स्व. वृजविहारी

5– वृजकिशोर पुत्र स्व. वृजविहारी

6– हरीओम पुत्र गोविन्द शर्मा
सभी निवासी ग्राम गढ़ा तहसील अटेर
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---तरतीवीं अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री बी.एस.धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 16 - 11 -2017 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 209/15–16 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7–12–16 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्र– 1 ने नायव तहसीलदार सुरपुरा तहसील अटेर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि माननीय उच्च न्यायालय खंड–

पीठ ग्वालियर द्वारा सिविल सेकेन्ड अपील कमांक 429/99 में पारित आदेश दिनॉक 6 मार्च 2009 के अनुसार ग्राम गढा की कुल किता 17 कुल रकबा 3.76 में से हिस्सा 1/2 का भूमिस्वामी घोषित होने से हिस्सा 1/6 का भूमिस्वामी बना है इसलिये पटवारी अभिलेख में अमल कराया जावे। नायव तहसीलदार टप्पा सुरपुरा ने प्रकरण कमांक 281 अ-6/08-09 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई कर आदेश दिनांक 22-5-2009 पारित किया एंव ग्राम गढा की कुल किता 17 कुल रकबा 3.76 में से हिस्सा 1/2 का भूमिस्वामी घोषित होने से हिस्सा 1/6 भाग पर अमल करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अटेर के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी अटेर ने प्रकरण कमांक 13/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 9-11-2009 से नायव तहसीलदार टप्पा सुरपुरा के प्रकरण कमांक 281 अ-6/08-09 में पारित आदेश दिनांक 22-5-2009 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु एंव मान0 व्यवहार न्यायालय के आदेशों के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। तहसील न्यायालय में सुनवाई के दौरान आवेदक ने म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि वाद विचारित भूमि पॅजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई है एंव विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय से शून्य घोषित नहीं हुये है इसलिये प्रकरण इसी-स्तर पर निरस्त कर दिया जाय। नायव तहसीलदार सुरपुरा ने उभय पक्ष को श्रवण कर म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर जिला भिण्ड के निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर भिण्ड ने प्रकरण कमांक 209/15-16 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7-12-16 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के साथ अनावेदक की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस का भी अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों की बहस पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार के

समक्ष सुनवाई के दौरान म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर बताया है कि वाद विचारित भूमि पॅजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई है एंव नामान्तरण भी हुआ है तथा विक्रय पत्र सक्षम न्यायलय से शून्य घोषित नहीं हुये है, विक्रय पत्र के आधार पर किये गये नामान्तरण को विचाराधीन प्रकरण में पुर्नविचारित नहीं किया जा सकता, इसलिये प्रकरण निरस्त कर दिया जाय। नायव तहसीलदार के प्रकरण में पृष्ठ 5 से 10 तक मान. न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा सिविल सेकेन्ड अपील क्रमांक 429/99 में पारित आदेश दिनॉक 6 मार्च 2009 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति, पृष्ठ 11 से 19 तक मान.तृतीय अपर जिला जज भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 32/98 अपील दीवानी में पारित आदेश दिनांक 13-8-99 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति तथा पृष्ठ क्रमांक 21 से 39 तक मान. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड के व्यवहार वाद क्रमांक 108 ए/1997 में पारित आदेश दिनांक 11-9-1997 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति संलग्न है जिनके पालन में नायव तहसीलदार ठप्पा सुरपुरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 281 अ-6/08-09 कायम करके वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण की कार्यवाही हेतु सुनवाई की जा रही है। माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है जिनके पालन में नायव तहसीलदार सुरपुरा द्वारा की जा रही कार्यवाही में प्रकियात्मक त्रृटि नहीं पाये जाने से अपर कलेक्टर जिला भिण्ड ने आदेश दिनांक 7-12-16 से आवेदक की निगरानी निरस्त की है जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 209/15-16 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7-12-16 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर